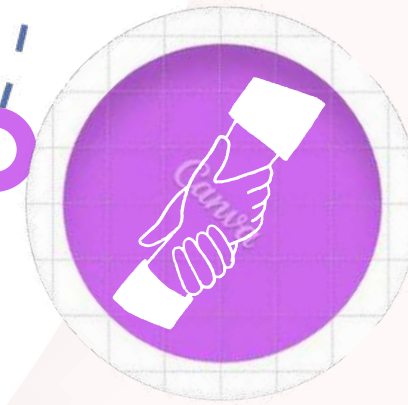
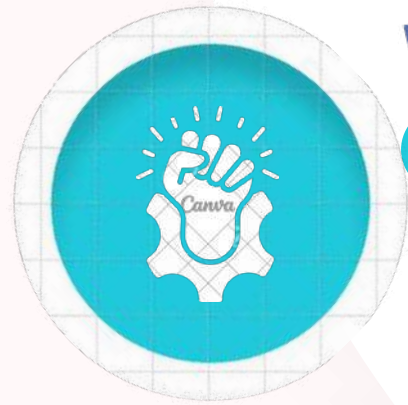




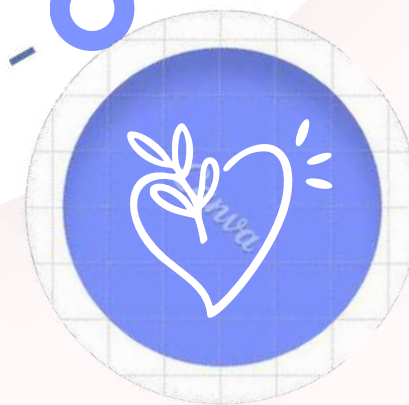
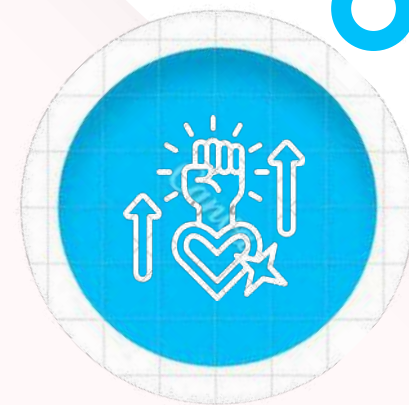
International
Women's Day
2026

“Give to Gain”

भौतिक दान नहीं, इसका अर्थ है—अवसर देना, सम्मान देना और सुरक्षा देना।



यह केवल एक थीम नहीं, बल्कि समाज को बदलने की शक्ति रखने वाला एक संकल्प है। केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक सोच में परिवर्तन है।



यह हमें प्रतीकात्मक समर्थन से आगे बढ़कर सार्थक और ठोस कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

महिलाओं को सशक्त बनाना दान नहीं — बल्कि एक मजबूत, समान और समृद्ध भविष्य में निवेश है।

Give to Gain का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम महिलाओं को अवसर देते हैं — शिक्षा का, नेतृत्व का, निर्णय लेने का — तब समाज केवल उन्हें नहीं, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाता है।

जब हम सम्मान देते हैं, तो हमें विश्वास मिलता है; जब हम समान अवसर देते हैं, तो हमें प्रगति मिलती है; और जब हम समर्थन देते हैं, तो हमें एक सशक्त राष्ट्र प्राप्त होता है।



जब हम महिलाओं को
समान अधिकार और सम्मान
“प्रदान करते हैं”

(Give)

तो समाज में
हम स्थिरता, न्याय और प्रगति

“पाते हैं”

(Gain)



जब एक माँ अपना प्यार और समय समर्पित करती है, तो वह सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को मजबूती प्रदान करती है।



जब कोई महिला अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करती है, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और साहस का स्रोत बन जाती है।



न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि अवसर देने से उत्कृष्टता प्राप्त होती है। महिला न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और विधि विशेषज्ञों का योगदान न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, संतुलित और समावेशी बनाता है।



“Give to Gain”

(प्रदान करने से प्राप्त करना) थीम के प्रमुख पहलू

- कार्य-आधारित सहयोग (Action-Oriented Giving): यह केवल प्रतीकात्मक समर्थन तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस और वास्तविक सहायता पर जोर देता है — जैसे महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग देना, मेंटरशिप प्रदान करना और समान वेतन सुनिश्चित करना।
- उद्देश्यपूर्ण निवेश (Purposeful Investment): यह महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और नेतृत्व क्षमता में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि सशक्तिकरण की एक सकारात्मक श्रृंखला (Ripple Effect) उत्पन्न हो सके।





- **“कुछ छोड़कर पाना” (Giving Up to Gain):** इसका अर्थ है प्रगति में बाधा बनने वाले अनजाने पूर्वाग्रहों, पुरानी सोच और व्यवस्थागत रुकावटों को त्यागना।
- **समावेशी वातावरण (Inclusive Environments):** यह ऐसे कार्यस्थलों और समुदायों के निर्माण पर बल देता है जहाँ महिलाएँ केवल उपस्थित ही न हों, बल्कि उन्नति करें और सफल हों।
- **पारस्परिकता (Reciprocity):** यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं का समर्थन करना संसाधनों की "कमी" नहीं है, बल्कि एक ऐसी "वृद्धि" है जो सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होती है।

भारतीय संवैधानिक विधि में “Give to Gain” महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में

Constitutional Philosophy: Empower Her to Empower the Nation

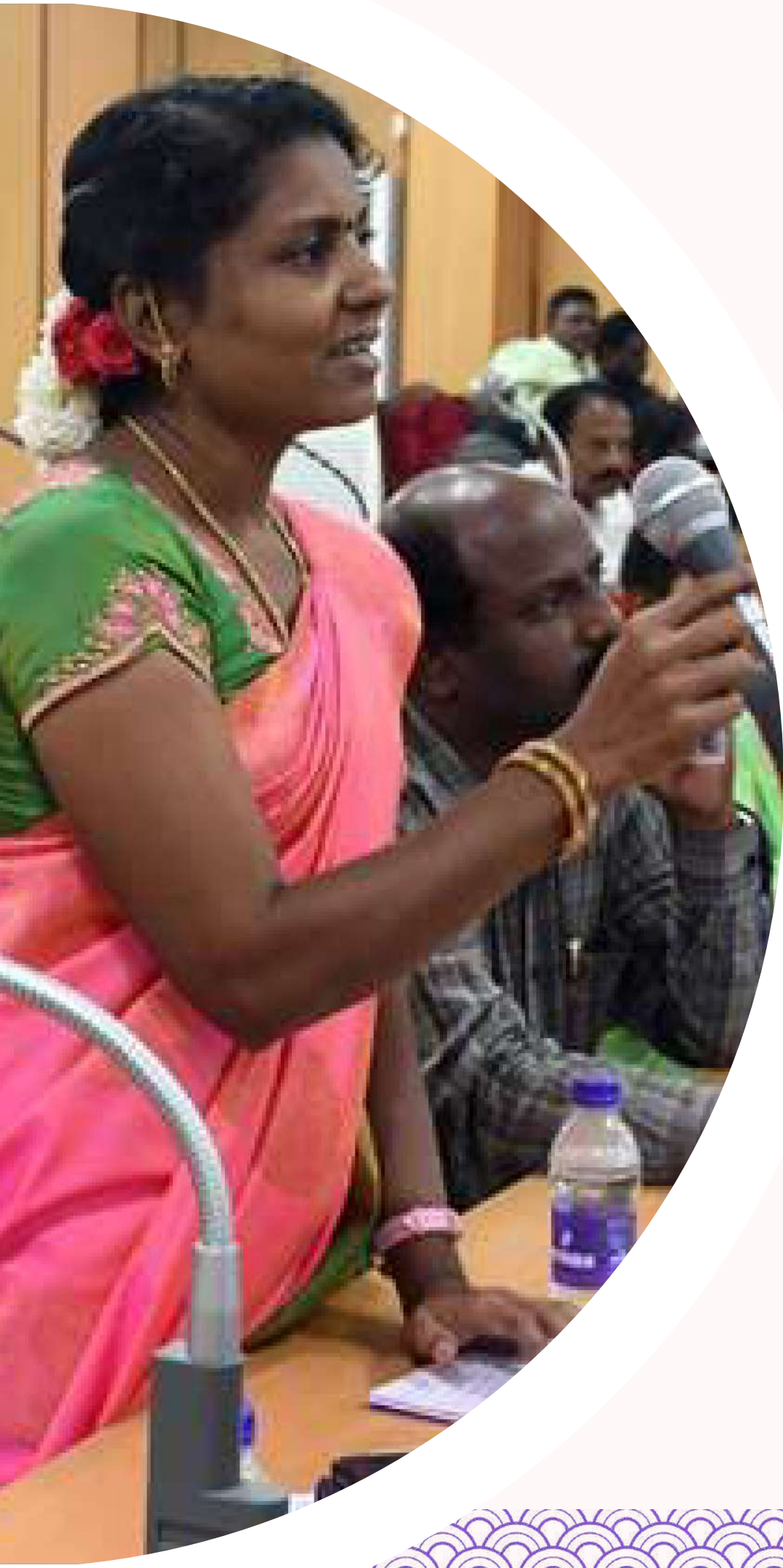


- भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में “**Give to Gain**” की अवधारणा का अर्थ है कि जब समाज और राज्य महिलाओं को सुरक्षा, अवसर और समानता प्रदान करते हैं, तो राष्ट्र न्याय, विकास और सामाजिक समरसता प्राप्त करता है।
- इस दृष्टि के केंद्र में भारतीय संविधान है, जो महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ उनके सशक्तिकरण हेतु सकारात्मक और विशेष प्रावधान भी सुनिश्चित करता है।

“Empower Her to Empower the Nation.”



- हंसा मेहता ने ‘All men are born free and equal’ वाक्य को ‘All human beings are born free and equal’ में परिवर्तित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लैंगिक समानता की स्पष्ट स्थापना हुई।
- राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य और मातृ संरक्षण को नीति-निर्देशक तत्वों में स्थान दिलाने में योगदान दिया।



समानता देना → न्याय और गरिमा प्राप्त करना

- अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 15(1) – लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 15(3) **“Give to Gain” का सशक्त उदाहरण है** — यह राज्य को महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है।

जब राज्य समतामूलक व्यवहार (Equitable Treatment) करता है, तब समाज वास्तविक (सार्थक) समानता प्राप्त करता है।



आरक्षण देना → प्रतिनिधित्व प्राप्त करना

- अनुच्छेद 243D एवं 243T – पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
- स्थानीय स्वशासन में आरक्षण ने लाखों महिलाओं को निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर दिया है।
- जब हम महिलाओं को राजनीतिक स्थान देते हैं, तब हमें समावेशी लोकतंत्र प्राप्त होता है।

Vishaka v. State of Rajasthan

Vishaka v. State of Rajasthan का निर्णय केवल एक फैसला नहीं था, बल्कि संस्थागत चेतना का प्रारंभ था।

न्यायिक योगदान (Give)

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को मान्यता
- निवारण हेतु दिशा-निर्देश
- गरिमा को मौलिक अधिकार से जोड़ा

प्राप्त परिणाम (Gain)

- सुरक्षित कार्यस्थल की अवधारणा
- बाद में विधिक संरचना (POSH कानून)
- महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि



संदेश

जब न्यायपालिका दिशा देती है, तो विधायिका और समाज उसका विस्तार करते हैं।

District Court Durg

महिला पक्षकारों के साथ कार्यस्थल पर किये जाने वाले मानव व्यवहार की अपेक्षा-

Do

- महिला पक्षकार से 'आप/जी' में बात, धीमी आवाज में, स्पष्ट निर्देश। यदि महिला असहज / घबरायी है तो हेल्प डेस्क / महिला कर्मचारी / पी.एल. वी. की सहायता उपलब्ध कराना।
- गर्भवती, वृद्ध, दिव्यांग, महिला के साथ यदि बच्चा है तो यथासंभव प्राथमिकता / बैठने की सुविधा। आवश्यक हो तो काउंटर के बजाए बैठकर संक्षिप्त मदद देना।
- अनावश्यक दौड़ भाग न करना। यदि नियम अनुमति दे तो टोकन / रसीद / रजिस्टर्ड एंटी देकर ट्रेकिंग सुविधा।
- विशेष मामलों (पॉक्सो, 376, 498 ए एवं डी.पी. एक्ट में बिना लैंगिक भेदभाव के संवेदनशीलता के साथ लैंगिक संवेदीकरण युक्त व्यवहार करना।

Don't

- व्यक्तिगत सवाल / मोबाईल नंबर / पता / वैवाहिक स्थिति आदि अनावश्यक रूप से न पूछना।
- डांटना/ताने/व्यंग्य/ऊंची आवाज तुम तू का संबोधन नहीं होना चाहिए।
- महिला को अकेले कमरे / रिकार्ड रूम / एकांत में न बुलाया जाना। सहायता हेतु हमेशा ओपन काउंटर / दृश्य क्षेत्र में बातचीत करना।
- अशोभनीय टिप्पणियां, घूरना, छेड़छाानी, अश्लील / दोहरे अर्थ की बात न करना।
- मानले / आदेश / तारीख की जानकारी बिना अधिकृत कारण के किसी तीसरे व्यक्ति को न देना।

टीप- यदि महिला पक्षकार के साथ किसी न्यायालयीन कर्मचारी की वाद-विवाद की स्थिति बनती है तो कर्मचारी तुरंत पीठासीन अधिकारी के सामने उस महिला को प्रस्तुत करे।

आदेशानुसार

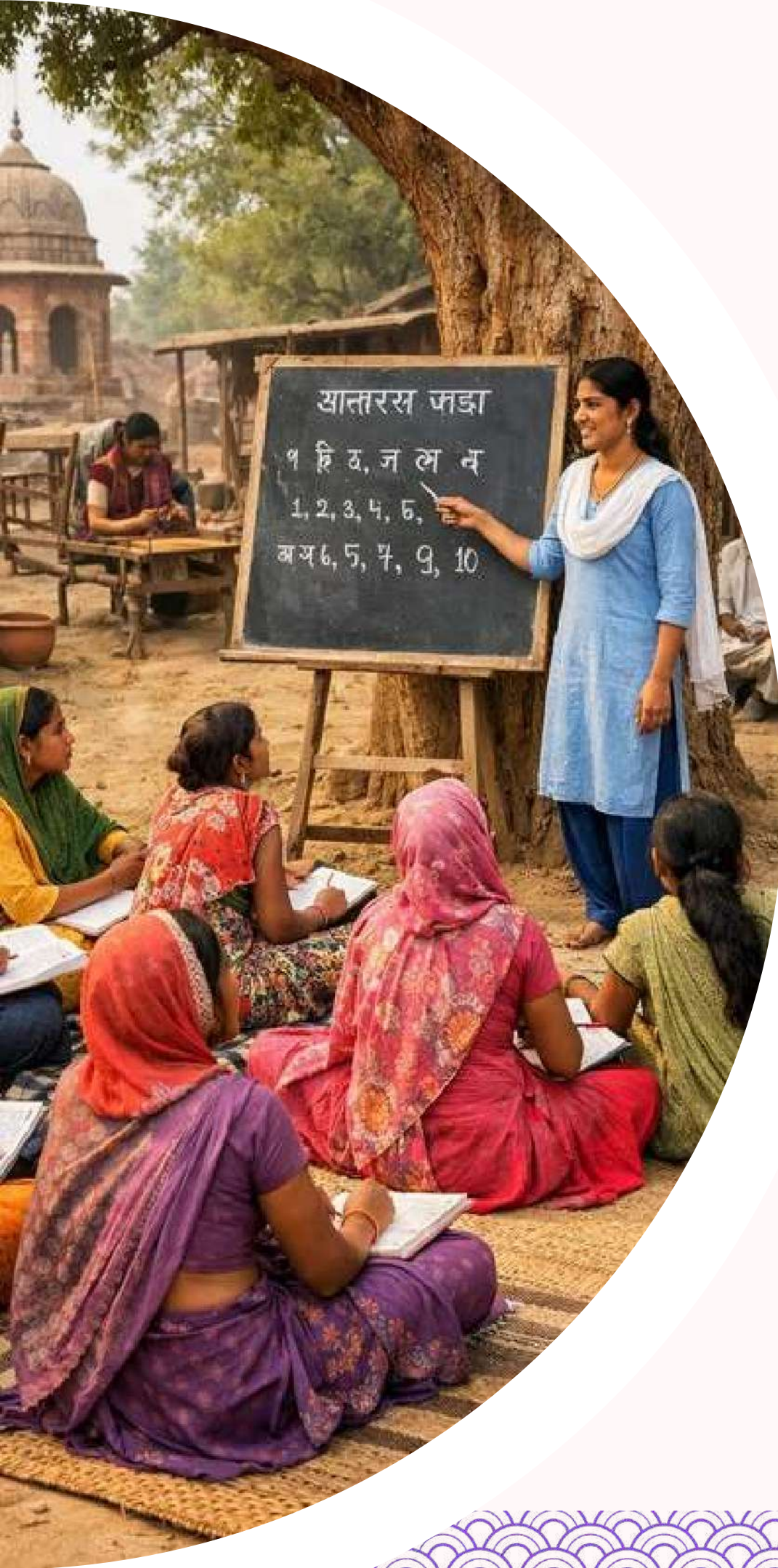
जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग द्वारा जारी Standard Operating Procedure

- यह उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग द्वारा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा एवं जागरूकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विस्तृत Standard Operating Procedure (SOP) जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य न्यायालय परिसर में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण स्थापित करना है।
- जिला न्यायालय दुर्ग द्वारा संचालित यह अभियान इस बात का उदाहरण है कि संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित, गरिमामय और न्यायसंगत बनाया जा सकता है।



जीवन और गरिमा की सुरक्षा देना → सामाजिक नैतिकता प्राप्त करना

- **अनुच्छेद 21** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसकी व्याख्या में गरिमा, निजता और शारीरिक स्वायत्तता को भी शामिल किया गया है।
- सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता को **अनुच्छेद 21** का हिस्सा माना।
- जब संविधान शारीरिक स्वायत्तता प्रदान करता है, तब समाज मानव गरिमा के प्रति सम्मान प्राप्त करता है।



शिक्षा और कल्याण देना → राष्ट्रीय विकास प्राप्त करना

**राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
(अनुच्छेद 39, 42, 45) राज्य को निर्देश देते हैं कि वह:**

- समान आजीविका सुनिश्चित करे
- मातृत्व राहत प्रदान करे
- शिक्षा को बढ़ावा दे
- संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित योजनाएँ साक्षरता, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं।
- जब हम महिलाओं को शिक्षा और कल्याण समर्थन देते हैं, तब राष्ट्र दीर्घकालिक विकास प्राप्त करता है।



संविधान के अनुच्छेद 51A(e)

- इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 51A(e) जो की एक मौलिक कर्तव्य के तौर पर 1976 में जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 'it is the duty of every citizen to "renounce practices derogatory to the dignity of women"'.
- इस अनुच्छेद का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Joseph Shine, Sabrimala तथा Triple Talaq जैसे महिलाओं के हित में दिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों में निर्णायक तौर पर उल्लेख किया गया है

पीड़िता-केंद्रित न्याय और न्यायिक भाषा

एक यौन अपराध प्रकरण में, यदि न्यायालय कठोर, तकनीकी और असंवेदनशील भाषा का प्रयोग करे, तो न्याय होते हुए भी पीड़िता स्वयं को पराजित अनुभव कर सकती है।

न्यायिक योगदान (Give)

- सम्मानजनक न्यायिक भाषा
- इन-कैमरा सुनवाई
- अनावश्यक प्रश्नों से संरक्षण

प्राप्त परिणाम (Gain)

- पीड़िता का न्याय प्रक्रिया में विश्वास
- समाज में यह संदेश कि न्याय केवल दंड नहीं, मर्यादा भी है



संदेश

न्यायिक शब्द केवल आदेश नहीं, वे सामाजिक संकेत होते हैं।



An illustration of a woman with dark skin and blue hair, wearing a blue sari with red borders. She is holding a large yellow sign on a wooden pole. The sign has the text 'WE HAVE THE FULL RIGHT TO PROTECT OUR LIFE AND PERSONAL LIBERTY !!' written on it in black capital letters. The background shows a blue sky with white clouds and green rolling hills.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र बाबू तथा न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर की पीठ ने बाल यौन शोषण या बलात्कार से संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। ये निर्देश निम्नलिखित थे:

- पीड़िता या गवाह को अभियुक्त के शरीर या चेहरे को देखने से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था, जैसे कि पर्दा (स्क्रीन), की जानी चाहिए।
- जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के प्रश्न पहले से तैयार करके न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दिए जाएँ, जो उन्हें पीड़िता या गवाह से स्पष्ट और गैर-अपमानजनक भाषा में पूछें।
- बाल यौन शोषण या बलात्कार की पीड़िताओं को न्यायालय में बयान देते समय पर्याप्त विश्राम (ब्रेक) दिया जाए।

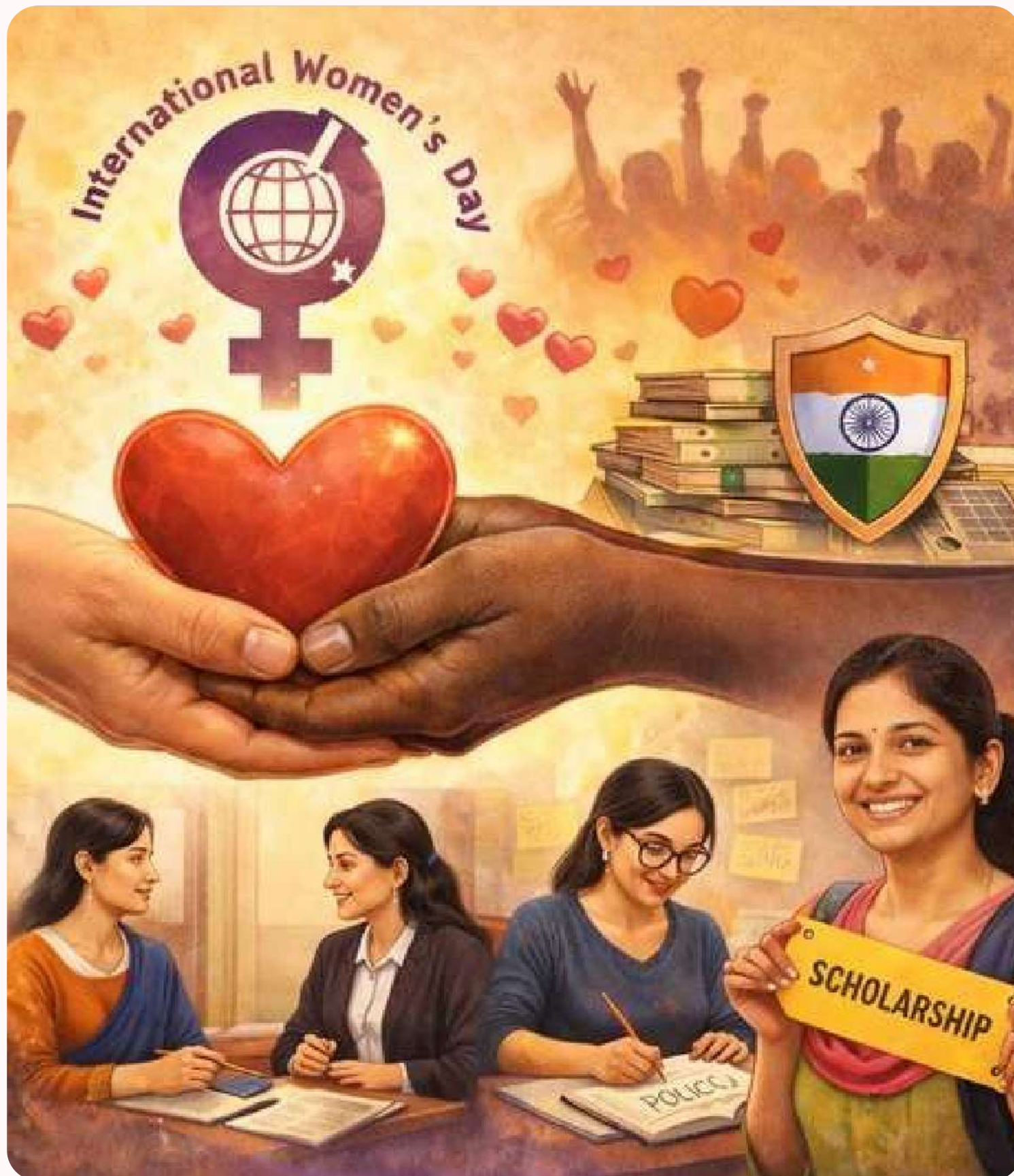
न्यायमूर्ति रूमा पाल: संघर्ष, शिक्षा और संकल्प

Justice Ruma Pal का जीवन भारतीय न्यायपालिका में महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक कहानी है। जिस दौर में कानून की पढ़ाई को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, उस समय उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में प्रवेश लिया—जहाँ वे अपनी कक्षा में एकमात्र छात्रा थीं। एक अकेली लड़की के रूप में पढ़ाई करना, आत्मविश्वास बनाए रखना और अपनी क्षमता को साबित करना आसान नहीं था। समाज की सोच, सीमित मार्गदर्शन और पेशेवर अनिश्चितताओं के बावजूद उन्होंने कानून को गंभीरता से अपनाया और निरंतर मेहनत के बल पर आगे बढ़ती रहीं। उनका यह सफर बताता है कि जब किसी महिला को अवसर मिलता है, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता खोलती है।





- Justice Surya Kant ने यह भी उल्लेख किया कि आज भारत की जिला न्यायपालिका में 50 प्रतिशत से अधिक न्यायाधीश महिलाएँ हैं, जो न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का स्पष्ट संकेत है।
- उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि जब महिलाओं को अवसर दिए जाते हैं, तो वे न्याय व्यवस्था में प्रभावी और सक्षम भूमिका निभाती हैं।
- **Give to Gain** की दार्शनिक अवधारणा भारतीय संवैधानिक ढांचे में यह दर्शाती है कि जब समाज और राज्य महिलाओं को सुरक्षा, अवसर और समानता प्रदान करते हैं, तब राष्ट्र न्याय, विकास और सामाजिक समरसता प्राप्त करता है।
- इस दृष्टि के केंद्र में भारतीय संविधान स्थित है, जो महिलाओं के लिए न केवल अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने हेतु सकारात्मक एवं विशेष प्रावधान भी सुनिश्चित करता है।



आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल अधिकारों की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि अवसर भी देंगे; केवल समानता का समर्थन ही नहीं करेंगे, बल्कि व्यवहार में भी उसे अपनाएँगे। क्योंकि जब हम महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, तो समाज न्याय, विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता है।



“Give To Gain” हमें यह नहीं पूछने देता कि हमें क्या मिलेगा? बल्कि यह पूछने को विवश करता है कि हम क्या योगदान दे सकते हैं?

◆ यदि हम —

- अवसर देंगे, तो नेतृत्व मिलेगा।
- सम्मान देंगे, तो विश्वास मिलेगा।
- न्याय देंगे, तो सामाजिक संतुलन मिलेगा।



हम न्यायपालिका में हैं

हमारे शब्द आदेश बनते हैं।
हमारे निर्णय मिसाल बनते हैं।
और हमारी संवेदनशीलता इतिहास लिखती है।



आइए हम संकल्प लें

हम योगदान देंगे,
ताकि समानता केवल विचार न रहे,
बल्कि जीवन की वास्तविकता बने।
क्योंकि जब महिलाएँ सशक्त होती हैं
तो न्याय सशक्त होता है।
और जब न्याय सशक्त होता है
तो लोकतंत्र सुरक्षित होता है।



*Thank
You*

